

R. 29-PBP/13

निगरानी प्रकरण क्र. : ...../2013  
प्रस्तुति दिनांक : .....

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
मध्यप्रदेश के न्यायालय में

१. श्रीमती शान्तीबाई पिता श्री महिया सिंगाड  
 २. कानू पिता श्री सकरा सिंगाड  
 ३. मांगीलाल पिता श्री सकरा सिंगाड  
 ४. शैतान पिता श्री भलिया भाभर  
     सभी निवासी-ग्राम कोटडा तहसील थांदला  
     जिला झाबुआ (म.प्र.)
५. प्रमोद पिता श्री राजमल सेठिया  
 ६. श्रीमती पदमाबाई पति स्व. श्री राजमल सेठिया  
     दोनों निवासी-थांदला तहसील थांदला  
     जिला झाबुआ (म.प्र.)
- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१. जगदीश थावरिया पिता श्री भचार भील  
     विवासी-ग्राम देवीगढ़ तहसील मेहनगर  
     जिला झाबुआ (म.प्र.)
२. प्रकाश पिता श्री वरसिंह भचार  
 ३. विजय पिता श्री वरसिंह भचार  
 ४. मुकेश पिता श्री वरसिंह भचार  
 ५. राकेश पिता श्री वरसिंह भचार  
 ६. दिपला पिता श्री वरसिंह भचार  
 ७. दिलीप पिता श्री वरसिंह भचार  
     सभी निवासी-ग्राम मझालई माता तहसील थांदला  
     जिला झाबुआ (म.प्र.)
८. नारु पिता श्री हलिया  
 ९. भारत पिता श्री हलिया  
 १०. सोहन पिता श्री हलिया  
 ११. हुला पिता श्री हलिया  
 १२. श्रीमती जेला पति स्व. श्री हलिया भचार  
     क्र. ८ से १२ सभी निवासी-ग्राम मझालई माता  
     तहसील थांदला जिला झाबुआ (म.प्र.)
- प्रस्तुत  
द्वारा आज दि ३.१.१३ को  
कलक ऑफ बोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
- प्रतिप्रार्थीगण


निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अपर ब्लॉकटर जिला झाबुआ के द्वारा प्रकरण क्रमांक  
6/अप्रील/2011-12 में दिनांक 13/12/2012 को पारित आदेश  
से असंतुष्ट होकर यह निगरानी लिम्जलिखित आधारों पर प्रस्तुत  
है:-

**न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

अनुवत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 29-पीबीआर/2013 जिला खण्डवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों एवं आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी क्लेक्टर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला संभागीय आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हैं। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> सीइ</p> <p> अध्यक्ष</p>	